

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 730 /2022.लखनऊ:दि0::मई, 18 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 वाराणसी ने अपने पत्र सं0-88/22 दिनांक 12.05.2022 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 06.06.2022 से 10.06.2022 की अवधि में उनके पुत्र का कॉरपोरेट कम्पनी में जॉब के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका जाना प्रस्तावित है तथा उसके तैयारी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण एवं उन्हें दिल्ली एअरपोर्ट छोड़ने जाने के कारण प्रस्तावित खण्ड पीठ दिनांक 06.06.2022 से 10.06.2022 से उन्हें मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झांसी हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण झांसी में युगल पीठ करने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेशांक-519/2022 दिनांक 07.04.2022 एवं आदेशांक-654/22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्न संशोधन किया जाता है।

क्रम सं0	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
01	02	03	04	05
1.	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	दिनांक 25.05.22 से 26.05.22	पीठ-1 आगरा पीठ-5 वाराणसी
2.	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1,2,3 लखनऊ	दिनांक 25.05.22 से 27.05.22	पीठ-1 लखनऊ पीठ-3 लखनऊ
3.	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5,6 वाराणसी	दिनांक 06.06.22 से 10.06.22	पीठ-1 वाराणसी पीठ-3 वाराणसी

शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0/18.5.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 730 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3/4/5/6 वाराणसी, पीठ-1 आगरा, पीठ-झांसी, पीठ-1/2/3 लखनऊ।
2. मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

( तरुण कुमार )

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

